

भारत सरकार  
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3646  
उत्तर देने की तारीख 11.08.2025

कंधमाल में केंद्रीय जनजातीय सांस्कृतिक पुस्तकालय की स्थापना

3646. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का ओडिशा के कंधमाल जिले की समृद्ध जनजातीय विरासत और अनुसूचित जिले के रूप में इसके दर्जे को ध्यान में रखते हुए जनजातीय संस्कृति को समर्पित केंद्रीय पुस्तकालय और जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति, अनुमानित लागत और इसे पूरा करने की प्रस्तावित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को ओडिशा राज्य सरकार अथवा स्थानीय जिला प्रशासन से इसके लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
- (घ) मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक दलों जैसे धरणी-पेनु सांस्कृतिक नृत्य संघ, उपखंड कलाकार संघ, परमपरिका कुई संस्कृति पितरपी, बाणबासी कला संस्कृति विकास परिषद आदि को सरकार द्वारा दी गई सहायता सहित ऐसी संस्थाओं के माध्यम से जनजातीय कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के संरक्षण, प्रलेखन और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री  
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

- (क) और (ख): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुस्तकालय' राज्य का विषय है। तदनुसार, सार्वजनिक पुस्तकालय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अधीन होते हैं। इसलिए, केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना का कार्य संस्कृति मंत्रालय के अधिदेश के अंतर्गत नहीं आता है।

(ग): ओडिशा के कंधमाल जिले में आदिवासी संस्कृति को समर्पित केंद्रीय पुस्तकालय या आदिवासी संग्रहालय की स्थापना के लिए ओडिशा राज्य सरकार या स्थानीय जिला प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता' के अंतर्गत, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मयूरभंज जिले में एक जनजातीय अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने के लिए ओडिशा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है और इसके लिए ₹20.00 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गई है।

(घ): तत्संबंधी विवरण **अनुलग्नक-क** पर संलग्न है।

\*\*\*\*\*

‘कंधमाल में केंद्रीय जनजातीय सांस्कृतिक पुस्तकालय की स्थापना’ के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3646 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

### संस्कृति मंत्रालय

भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, गुरु-शिष्य परंपरा स्कीम के अंतर्गत, एक गुरु और 15-20 शिष्यों को छह माह से दो वर्ष की अवधि के लिए वजीफा प्रदान करता है। इस स्कीम का उद्देश्य ज्ञान अंतरण की पारंपरिक पद्धतियों के माध्यम से प्राचीन लोक और जनजातीय सांस्कृतिक परंपराओं का परिरक्षण और संवर्धन करना है।

मंत्रालय, अपने पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (ईजेडसीसी), कोलकाता के माध्यम से, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके ओडिशा की समृद्ध और विविध जनजातीय और लोक विरासत को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। इनमें नई दिल्ली में ओडिशा पर्व, पुरी में लोक मेला, ओडिशा के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय आदिवासी/लोक नृत्य और संगीत महोत्सव, चिलिका के बरकुल में चिलिका शेल्डक लोक कार्निवल और राउरकेला में अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक और नृत्य महोत्सव शामिल हैं। इसके अलावा, लुसप्राय लोक और आदिवासी कला रूपों को पुनः प्रचलित बनाने और कलाकारों व कारीगरों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर उत्पन्न करने हेतु कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।

कोलकाता स्थित ईजेडसीसी, आदिवासी और लोक कला रूपों की सुलभता, शोध और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए उनका व्यवस्थित प्रलेखन भी करता है। उल्लेखनीय प्रलेखित कृतियों में बाली यात्रा, ओडिशा के भित्ति चित्र, गंजम के लोक चमत्कार, ओडिशा के गोतिपुआ नृत्य, ओडिशा का संबलपुरी नृत्य, बियॉन्ड पॉपुलर गेज (ओडिशा की आदिम जनजातियों का चित्रण), पल्स फ्रॉम द डीप (ओडिशा के लोक वाद्ययंत्र), और ओडिसी नृत्य का तांत्रिक आयाम आदि शामिल हैं।

ओडिशा की जनजातीय संस्कृति को पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन स्थित सृजनी शिल्पग्राम में भी प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ राज्य के विभिन्न जनजातीय समुदायों की जनजातीय वेशभूषा, वाद्ययंत्र, बर्तन और देवी-देवताओं की स्थायी प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसके अलावा, ईजेडसीसी नियमित रूप से देश भर के लोक उत्सवों में भाग लेने के लिए ओडिशा के सांस्कृतिक मंडलियों को भेजता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर ओडिशा की जनजातीय विरासत को लोकप्रियता मिलती है और उसकी सराहना बढ़ती है।

इसके अलावा, ओडिशा के लोक और जनजातीय समुदायों द्वारा निर्मित उत्पादों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा अपने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से आयोजित मेलों और प्रदर्शनियों में

प्रदर्शित और बेचा जाता है, जिससे समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता मिलती है और साथ ही उनकी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण भी होता है।

### **जनजातीय कार्य मंत्रालय**

भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय, केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता' के अंतर्गत, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनमें जनजातीय अनुसंधान संस्थान, ओडिशा भी शामिल है। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति के अनुमोदन के अध्यक्षीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) संबंधित राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं और जनजातीय अनुसंधान, प्रलेखन, संरक्षण और जनजातीय संस्कृति के संवर्धन हेतु नोडल संस्थानों के रूप में कार्य करते हैं। "टीआरआई हेतु सहायता" स्कीम के अंतर्गत, मंत्रालय अवसंरचना के विकास, अनुसंधान और प्रलेखन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, तथा जनजातीय उत्सवों, यात्राओं और आदान-प्रदान दौरों के आयोजन से संबंधित प्रस्तावों का समर्थन करता है। इन पहलों का उद्देश्य जनजातीय सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषाओं और रीति-रिवाजों को बढ़ावा देना, समुदायों और बड़ी संख्या में जनता के बीच उनका परिरक्षण और प्रसार को सुनिश्चित करना है।

\*\*\*\*\*